

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (अपरबेसमेन्ट), मेट्रो मास हॉस्पिटल के पास,
सेक्टर-7 शिप्रा पथ, अरावली मार्ग के सामने, मानसरोवर जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141- 2786051 (Email: rmfdcc.2000@yahoo.co.in)

क्रमांक प. ()/आरएमएफडीसीसी/2018-19


1442

परिपत्र

दिनांक: 25-2-2019

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा ऋण वसूली की प्रगति की समीक्षा उपरान्त निम्न अनुसार (प्रस्ताव संख्या 57 दिनांक 11.02.19) निर्णय लिया है:-


1. ऐसे जिले जिनमें वसूली 20 प्रतिशत से कम है, में 1 लाख रुपये के कम परियोजना लागत के ऋण एवं पशुपालन हेतु ऋण स्वीकृत नहीं किये जावें। इन जिलों में 20 प्रतिशत से अधिक वसूली का लक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त शर्त में शिथिलता का निर्णय निगम के स्तर पर लिया जा सकता है।
2. जो ऋणी समय पर ऋण का भुगतान कर चुके हैं उन्हें पूर्व स्वीकृत ऋण राशि के समान राशि हेतु पुनः स्वीकृति की पात्रता दी जावे।
3. जिन जिलों में ऋण वसूली 10 प्रतिशत से भी कम है उनके ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित लक्ष्यों का 50 प्रतिशत कर दिया जावे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे।
4. 2 लाख रुपये तक के ऋण पर एक व 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर उक्त परिपत्र अनुसार तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करें।


प्रबन्ध निदेशक

दिनांक: 25-2-2019

क्रमांक प. ()/आरएमएफडीसीसी/2018-19 14422-460
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्धक (वित्त), आरएमएफडीसीसी।
4. सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय/क0 लेखाकार आरएमएफडीसीसी।
5. सहायक प्रबन्धक (सह0) आरएमएफडीसीसी।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त।
7. श्री चन्द्र मोहन उनियाल वरिष्ठ लिपिक/श्री. सीताराम यादव क0 लिपिक आरएमएफडीसीसी।


प्रबन्ध निदेशक